

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 सितम्बर, 2026

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-24/2026.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक, संख्यांक 13) जो आज दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि०प्र० विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 13.

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए
(लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 6 का संशोधन।
3. धारा 7 का संशोधन।

2026 का विधेयक संख्यांक 13.

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026.

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 02) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2026, है।

(2) यह 30 जुलाई, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 6 का संशोधन.—शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उप-धारा (3) में, "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु पंद्रह हजार रुपए की फीस प्रति वर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगी," शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु छह माह की अवधि के लिए चार हजार पांच सौ रुपए या आठ हजार रुपए प्रतिवर्ष, प्रति सड़क फीस प्रभारित की जाएगी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

3. धारा 7 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) में, "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु पांच हजार रुपए की फीस प्रतिवर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगी" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु छह माह की अवधि के लिए दो हजार रुपए या तीन हजार रुपए प्रतिवर्ष, प्रति सड़क फीस प्रभारित की जाएगी:" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 को लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में, विशेष रूप से शिमला के माल रोड़ तथा अन्य विनियमित सड़कों के महत्व और पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यानों तथा सड़क उपयोक्ताओं के आवागमन को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

उपर्युक्त उद्देश्यों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि विनियामक ढांचा जनता की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील बना रहे, राज्य सरकार ने व्यापक लोकहित में, "सीलबंद" और "प्रतिबंधित" सड़कों के लिए अनुज्ञापत्रों पर लागू फीस की संरचना को युक्तिसंगत बनाना आवश्यक समझा है। फीस की दरों में कमी करने का उद्देश्य सड़क उपयोक्ताओं को राहत प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर विनियामक अपेक्षाओं के कारण अनुचित वित्तीय भार न पड़े।

प्रस्तावित उपाय का उद्देश्य यानों के आवागमन के प्रभावी विनियमन तथा युक्तियुक्त और वहनीय अनुज्ञापत्र प्रभार की वैध आवश्यकता के बीच समुचित संतुलन बनाए रखना है। इससे शिमला में पैदल यात्रियों और यानों की सुरक्षा, सुविधा तथा सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करते हुए सड़क उपयोक्ताओं को अधिक सुविधा प्राप्त होगी।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक था, अतः हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अधीन 29 जुलाई, 2026 को शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का अध्यादेश संख्यांक 2) प्रख्यापित किया गया था, जिसे 30 जुलाई, 2026 को अधिसूचना संख्या एलएलआर-डी (6)-13/2026-विधान तारीख 29 जुलाई, 2026 द्वारा हिमाचल प्रदेश, राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपांतरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्यमंत्री।

शिमला :

तारीख :

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 13 OF 2026.

**THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND
CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2026.**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 6.
3. Amendment of section 7.

Bill No. 13 of 2026.

**THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND
CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2026**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience)
Act, 2007 (Act No. 2 of 2008).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year
of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Shimla Road Users
and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Amendment Act, 2026.

(2) This Act shall be deemed to have come into force on the 30th day of July, 2026.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of the Shimla Road Users and Pedestrians
(Public Safety and Convenience) Act, 2007 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in sub-
section (3), for the words, signs and figures “A fee of Rs. 15,000/- shall be charged for grant of a
pass for a private vehicle per road, per annum;”, the words, signs and figures “A fee of Rs. 4,500/-
for a period of six months or Rs. 8,000/- per annum shall be charged for the grant of a pass for a
private vehicle, per road.” shall be substituted.

3. Amendment of section 7.— In section 7 of the principal Act, in sub-section (3), for the words, signs and figures “A fee of Rs. 5,000/- shall be charged for grant of a pass for a private vehicle per road, per annum;”, the words, signs and figures “A fee of Rs. 2000/- for a period of six months or Rs. 3,000/-per annum shall be charged for the grant of a pass for a private vehicle, per road:” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 was enacted with the objective of regulating the movement of vehicles and road users in the interest of public safety and convenience, particularly having regard to the significance of Shimla's Mall Road and other regulated roads and the need to ensure the safety and convenience of pedestrians.

With a view to furthering the aforesaid objectives and ensuring that the regulatory framework remains responsive to the needs of the public, the State Government has considered it necessary, in the larger public interest, to rationalise the fee structure applicable to permits for "sealed" and "restricted" roads. The reduction in the rates of fees is intended to provide relief to road users and ensure that the regulatory requirements do not place an undue financial burden upon persons requiring such permits.

The proposed measure seeks to maintain an appropriate balance between effective regulation of vehicular movement and the legitimate need for reasonable and affordable permit charges. It will also facilitate greater convenience to road users while continuing to secure the safety, convenience and orderly movement of pedestrians and vehicles in Shimla.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendment in "The Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 was required urgently, therefore, The "Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Amendment Ordinance, 2026 (Ordinance No. 2 of 2026) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Hon'ble Governor of Himachal Pradesh on 29th July, 2026, which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 30th July, 2026 *vide* Notification No. LLR-D (6)-13/2026-Legn, dated 29th July, 2026. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA :

DATE :
